सं०सं०–16 / टी.2–20 / 2022 –

बिहार सरकार

आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग

।। **आदेश** ।।

अधीक्षक, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना के पत्रांक–191 दिनांक–09.09.2022 के आलोक में राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना के औषधि भण्डार एवं संबंधित संस्थान के वित्तीय अनियमितता हेतु संपूर्ण मामले की जॉच करने के लिए विभागीय आदेश ज्ञापांक–1171(आ०चि०) दिनांक–13.10.2022 द्वारा जॉच समिति का गठन किया गया था।

2– जांच समिति द्वारा दिनांक–24.11.2022 को अंतिम रूप से समर्पित जॉच प्रतिवेदन में अत्यधिक मात्रा में यूनानी औषधि का कालातीत (Expire) पाया गया। मो० शहलाल आलमगीर, प्रधान लिपिक–सह–लेखापाल, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना द्वारा जॉच समिति को जॉच के क्रम में संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ ही जॉच कार्य में अपेक्षित सहयोग नहीं किया गया।

3– उपर्युक्त कृत्य के लिए विभागीय आदेश संख्या–1214(आ०चि०) दिनाक–28.10.2022 द्वारा मो० शहलाल आलमगीर, प्रधान लिपिक–सह–लेखापाल, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। तत्पश्चात विभागीय पत्रांक–1416(आ०चि०), दिनांक–16.12.2022 द्वारा मो० शहलाल आलमगीर के विरूद्ध आरोप–पत्र गठित करते हुए लिखित अभिकथन की मांग की गयी। मो० शहलाल आलमगीर के विरूद्ध गठित आरोप निम्नवत् हैं :–

(i) मो० शहलाल आलमगीर, प्रधान लिपिक–सह–लेखापाल, राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल, पटना द्वारा पूर्ण प्रभार नहीं दिया गया, जिससे प्राचार्य को वित्तीय तथा प्रशासनिक कार्य करने में कठिनाइयॉ हुई। जॉच के क्रम में उनके द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ ही जॉच कार्य में उनके द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं किया गया।

(ii) ग्लोबल मार्केटिंग एण्ड प्लेसमेंट को वास्तविक ₹ 14,20,160 / – (चौदह लाख बीस हजार एक सौ साठ) विपत्र के आलोक में ₹ 28,14,360 / – (अठाईस लाख चौदह हजार तीन सौ साठ) रूपये का भुगतान किया गया अर्थात ₹ 13,94,200 / –(तेरह लाख चौरानवे हजार दो सौ) रूपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

(iii) Janta Dardmand दवाखाना, कंपनी मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से बिना निविदा/बिना कोटेशन के सेल कोटेशन के रूप में ₹ 14,79,479/–(चौदह लाख उनासी हजार चार सौ उनासी) की यूनानी औषधि सीधे मुरादाबाद की निजी कंपनी से क्रय किया गया जो स्टॉक रजिस्टर में दिनांक–30.06.2022 को संधारित करने का उल्लेख है, जबकि Janta Dardmand दवाखाना से आपूर्त्ति की गयी यूनानी औषधि की मैनुफैक्चरिंग तिथि अगस्त, 2022 है।

(iv) रोकड पंजी में दिनांक 17.10.2022 को ₹ 9,72,902/– (नौ लाख बहत्तर हजार नौ सौ दो) उत्तर प्रदेश की कंपनी ड्रग्स लेबोरेटरी, हापुड, मेरठ (उ०प्र०) द्वारा खाता संख्या–10165935828 का चेक संख्या–000529 से कॉलेज के चालू खाता में जमा किया गया। यह जमा किया गया राशि संदिग्ध पाया गया।

4– विभागीय पत्रांक–1416(आ०चि०), दिनांक–16.12.2022 के आलोक में मो० शहलाल आलमगीर द्वारा लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि भंडार एवं विपत्र से सम्बंधित संचिकायें एवं पंजी श्री धीरज कुमार, लिपिक के पास रहती है। इनके द्वारा सम्पूर्ण प्रभार मो० अशरफ जमाल को दिया गया है। तत्कालीन प्राचार्य के आदेश के आलोक में ग्लोबल मार्केटिंग एण्ड प्लेसमेंट को ₹ 13,94,200/–(तेरह लाख चौरानवे हजार दो सौ) रूपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया। मैनुफैक्चरींग तिथि गलत अंकित करना दवा कंम्पनी की जवाबदेही होती है।

5– मो० शहलाल आलमगीर, प्रधान लिपिक–सह–लेखापाल का लिखित अभिकथन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उसे असंतोषजनक पाये जाने के कारण विभागीय आदेश सख्या–93(आ०चि०), दिनांक–20.01.2023 द्वारा मो० आलमगीर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। उप निदेशक, यूनानी, आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–16 को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आरोपों को प्रमाणित पाया गया, जो निम्नप्रकार है :–

(क) शहलाल आलमगीर, प्रधान लिपिक–सह–लेखापाल, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना द्वारा जॉच समिति द्वारा मांगी गयी संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ ही जॉच में समिति को अपेक्षित सहयोग नहीं किया गया।

(ख) मो० शहलाल आलमगीर, प्रधान लिपिक–सह–लेखापाल द्वारा राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना द्वारा पूर्ण प्रभार नहीं दिया गया, जिससे प्राचार्य को वित्तीय तथा

F:\Anil\Santoshji\Dhrrej & Shahlal.docx

प्रशासनिक कार्य करने में कठिनाइयाँ हुयी। उक्त किया गया कृत्य सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना, अनुशासनहीनता एव कर्तव्य के प्रति उदासीनता दर्शाता है।

(ग) ग्लोबल मार्केटिंग एण्ड प्लेसमेंट को ₹ 14,20,160/— (चौदह लाख बीस हजार एक सौ साठ रूपये) रू० वास्तविक भुगतान के स्थान पर ₹ 28,14,360/— रू० भुगतान किया गया अर्थात ₹ 13,94,200/— (तेरह लाख चौरानवे हजार दो सौ रूपये) मात्र अतिरिक्त भुगतान किया गया। आरोपी कर्मी पर अनुशासनहीनता और कार्य शिथिलता का बोध होता है। साथ ही सरकारी राशि का अनावश्यक रूप से लगभग 1 वर्ष 3 माह तक रखने का भी आरोप सिद्ध होता है।

(घ) Janta Dardmand दवाखाना कंपनी, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से आपूर्त्ति की गयी यूनानी औषधि की बिना निविदा/बिना कोटेशन के सेल कोटेशन रूप में ₹ 14,79,479/— (चौदह लाख उनासी हजार चार सौ उनासी) की यूनानी औषधी सीधे मुरादाबाद की निजी कंपनी से क्रय किया गया, जो स्टॉक रजिस्टर में दिनांक–30.06.2022 को संधारित करने का उल्लेख है, जबकि Janta Dardmand दवाखाना से आपूर्ति की गयी यूनानी औषधि की मैनुफैक्चरिंग तिथि अगस्त, 2022 है। उपर्युक्त यूनानी औषधि का सीधे कंपनी से क्रय करना बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानित नियम के प्रतिकूल है।

(ड) प्राचार्य के पत्रांक–243, दिनांक–17.02.2023 में स्पष्ट किया गया है कि पत्रांक–830 दिनाक–17.06.2022 के द्वारा क्रयादेश, ड्रग्स लबोरेटरी 254, बानीसराय, मेरठ उ०प्र० के पक्ष में सी०जी०एच०एस० दर पर संलग्न सूची के अनुसार औषधि उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया। उक्त क्रयादेश के आलोक में यूनानी औषधि की आपूर्ति संस्थान में किया गया और श्री धीरज कुमार द्वारा Received in good condition and Entered into Stock Register पृष्ठ सं० 08 दिनांक 30.06.2022 अंकित कर प्रोफर्मा इनव्वायस पर अभिश्रव के रूप में कार्यालय को प्राप्त कराया गया है। कॉलेज संस्थान द्वारा आदेश संख्या 1063 दिनांक 06.09.2022 द्वारा ₹ 9,92,758/— का भुगतान ड्रग लेबोरेटरी को किया गया जिसका विपत्र श्री शहलाल आलमगीर द्वारा तैयार किया गया, जिसे जॉच पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाया गया। यह जामा किया गया राशि संदिग्ध है।

6— अधिगम की प्रति आरोपी मो० शहलाल आलमगीर को उपलब्ध कराते हुए विभागीय पत्रांक–313(आ०चि०) दिनांक–23.03.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।

7— मो० शहलाल आलमगीर द्वारा समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा (बचाव बयान) में सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने, अनुशासनहीनता, कर्तव्य के प्रति उदासीनता के आरोप को

बेबुनीयाद एवं निराधार बताया गया। प्रत्युत्तर की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षा से ज्ञात हुआ कि मो० आलमगीर द्वारा पदीय दायित्वों के साथ–साथ वित्तीय मामले में कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं किया गया है, जिसके कारण सरकारी राशि का अपव्यय हुआ।

8– मो० शहलाल आलमगीर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं मो० आलमगीर से प्राप्त बचाव बयान के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(ix) के अधीन अनिवार्य सेवानिवृति की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित करने का निर्णय लिया गया।

9– अतः मो० शहलाल आलमगीर, प्रधान लिपिक–सह–लेखापाल, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(ix) के तहत् आदेश निर्गत की तिथि से अनिवार्य सेवानिवृति की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

10– प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(सुरेन्द्र राय)
विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–
महानिदेशक(आयुष)

ज्ञापांकः–16/टी.2–20/2022 –954(अ०नि०) **पटना, दिनांक** – 30.6.2025

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/निदेशक, सामान्य भविष्य निधि निदेशालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक/राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना/प्राचार्य, राजकीय श्री धन्वंतरि आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, अहिरौली, बक्सर/आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मो० शहलाल आलमगीर, प्रधान लिपिक–सह–लेखापाल, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–
महानिदेशक(आयुष)

F:\Anil\Santoshji\Dhrrej & Shahlal.docx